84

उत्तर मध्य रेलवे
NORTH CENTRAL RAILWAY

Confidential

प्रधान कार्यलय,
महाप्रबन्धक सतर्कता,
सूबेदारगंज, प्रयागराज–211015

SIV- 07/2020

No. 20180602002/PC/V5/N/ALD

प्रमुख मुख्य अभियन्ता,
उ.म.रे., प्रयागराज।

Dated: 21 / 12/2020

विषयः Performance Guarantee को देरी से जमा करने पर उस पर लगायी जाने वाली penal interest की ठेकेदार से रिकवरी उचित समय पर किये जाने के सम्बन्ध में।

विद्युत निर्माण विभाग, झाँसी के अधीन चल रहे एक निविदा मामले के संबंध में किये गये सतर्कता जाँच में यह पाया गया कि ठेकेदार द्वारा LOA जारी होने के 39 दिनों के पश्चात् ही PG संबंधित निविदा कार्यालय को जमा किया गया। फर्म द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार निर्धारित एक नियत अवधि के बाद PG जमा करने में की गयी देरी के लिए उसके विरुद्ध penal interest लगाते हुए उसकी रिकवरी किया जाना था, परन्तु संबंधित विभाग द्वारा फर्म के साथ निविदा करार हस्ताक्षरित करने के साथ–साथ कुल 10 रनिंग ऑन एकाउन्ट बिल जारी किया गया, इसके बावजूद भी penal interest की रिकवरी फर्म से नहीं किया गया। अतः समय पर penal interest की रिकवरी फर्म से न किया जाना एक अनियमितता है। उ.म.रे. के कुछ विभागों द्वारा किसी निविदा मामले में देरी से PG दिये जाने पर लगने वाले penal interest की रिकवरी निविदा करार हस्ताक्षरित होने के पहले की जा रही है तो कुछ अन्य विभागों द्वारा इसे ठेकेदार के I[st] On Account बिल से किया जा रहा है। अतः उ.म.रे. के विभिन्न विभागों द्वारा देरी से PG जमा करने के कारण लगने वाले penal interest को ठेकेदार से जमा कराये जाने में अलग–अलग प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। चूँकि निविदा मामलों हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों एवं नियमों में सामान्यतः penal interest जमा करने की निश्चित समयावधि के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं है, अतः इस तरह की चूक अन्य निविदाओं में भी होने की सम्भावना है। अतः भविष्य में होने वाले किसी भी निविदा में इस प्रकार की अनियमितता से बचने हेतु निम्न प्रणाली सुधार का सुझाव किया जाता है:–

1. किसी भी निविदा में Agreement हस्ताक्षरित होने से पूर्व फर्म द्वारा जमा किये गये Performance Guarantee के पूर्ण विवरण के साथ–साथ वह PG सम्बन्धित निविदा कार्यालय में फर्म द्वारा जिस दिनांक को जमा किया गया है, का विवरण भी स्पष्ट रूप से Agreement में लिखा जाना चाहिए।
2. यदि फर्म द्वारा PG इस प्रकार जमा की गयी है कि सम्बन्धित निविदा पर लागू GCC के नियमानुसार penal interest लगाया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में निविदा Agreement हस्ताक्षरित होने से पूर्व उस पर लगने वाली penal interest को अवश्य ही जमा करा लेना चाहिए एवं इसका पूरा ब्यौरा Agreement में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

अतः उक्त के सन्दर्भ में एक समान दिशा–निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है जिसे सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनाते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। चूँकि निविदा से सम्बन्धित नियमों के मामले में सिविल इंजी0 विभाग एक नोडल विभाग है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में प्रणाली सुधार हेतु उचित दिशा–निर्देश जारी करने की कृपा करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने की व्यवस्था करें।

इसे वरि0 उप महाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

21.12.2020
(धर्मेन्द्र कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / बिजली
कृते महाप्रबन्धक सतर्कता